पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001
ई मेल : office.md@uppcl.org
कार्यालय : 0522 - 2288377

संख्या–3608–औ0सं0 / 2025–2(यू0)ए0एस0 / 2021 **दिनांक 01, जनवरी, 2026**

ई–मेल / तत्काल कार्यवाही

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को
वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः–विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उ0प्र0 के द्वारा दिनांक 06.01.2026 को प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक दिवसीय सत्याग्रह / विरोध प्रदर्शन के नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उ0प्र0 ने अपने पत्र सं0–114 / विसमस / नोटिस दिनांक 26.12.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा आउटसोर्स कर्मियों की कतिपय मांगों को लेकर दिनांक 06.01.2026 को प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक दिवसीय सत्याग्रह / विरोध प्रदर्शन किये जाने का नोटिस प्राप्त हुआ है।

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–3 / 205 / 24–पी–2–2025 दिनांक 04.12.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से कारपोरेशन के पत्र संख्या–I / 34397 / 2025–IR–17–Comp no. 8157 दिनांक 16.12.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन / प्रदर्शन / कार्य बहिष्कार करना नियमतः अनुमन्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में डिस्कॉमों के सभी आउटसोर्स एजेन्सियों को सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार से उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन का कार्य प्रभावित न हो सके।

उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 06.01.2026 को प्रस्तावित सत्याग्रह / विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये। आउटसोर्स एजेन्सियों को निर्देशित कर दिया जाय कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित सत्याग्रह / विरोध प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे एवं किसी भी आउटसोर्स कर्मी का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

01/1/26.

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–3608–औ0सं0 / 2025, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 / उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0,वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा।
6. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला/ पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन, लखनऊ एवं मा0 मंत्री जी के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था एवं वीडियोग्राफी कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

संलग्नक–यथोपरि।

PKumar

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबंधक (औ0स0)

आर.एस. राय
मुख्य संरक्षक
9415026817

विद्युत संविदा मज़दूर संगठन, उ.प्र.

ट्रेड यूनियन एक्ट 1926
के अन्तर्गत,
पंजी. सं. 9710

केन्द्रीय कार्यालय :
जी-107, हमबरा अपार्टमेन्ट,
श्यामा चौराहा, नरही, लखनऊ (उ.प्र.)

अरूण कुमार
संरक्षक
7388967666

नवल किशोर सक्सेना	**भोला सिंह कुशवाहा**	**आशीष कुमार**	**आर.पी. पाल**	**उदय प्रताप सिंह**
अध्यक्ष	मुख्य महामंत्री	प्रमुख महामंत्री	कोषाध्यक्ष	संयोजक
7307129820	9026890687	8130935444	9450391012	7860729999
पुनीत राय	**राजेश्वर सिंह**	**सुन्दर लाल**	**सुनील गोस्वामी**	**फरहान खान**
प्रभारी	महामंत्री (प्रभारी पूर्वांचल)	महामंत्री (प्रभारी दक्षिणांचल)	महामंत्री (प्रभारी मध्यांचल)	महामंत्री (प्रभारी पश्चिमांचल)
8174841181	9919628095	9795250396	9012620140	8174841181

पत्रांक : 114/विसमज/नोटिस

दिनांक : 26-12-2025

सेवा में,

अध्यक्ष
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
14–अशोक मार्ग शक्तिभवन, लखनऊ।

विषय– **श्रम कानूनों और 2017 के मानकों का उल्लंघन करके निरन्तर की जा रही छंटनी के विरूद्ध एवं संगठन की प्रमुख मांगों के लिए दिनांक 06 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को प्रदेश के हर जिले में एकदिवसीय सत्याग्रह की नोटिस।**

महोदय,

दुःख का विषय है कि निरन्तर काम के बढ़ते हुए बोझ के बावजूद विगत 2 वर्षो में लगभग 25000 संविदा कर्मियों की छंटनी की गयी है और 2017 के मानको एवं श्रम कानूनों का उल्लंघन करके अभी भी छंटनी जारी है। किये जा रहे नये टेन्डरों में श्रमिकों की सख्या 20 प्रतिशत कम किये जाने के कारण हर जिले में वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मियो की छंटनी करके घर बैठा दिया जा रहा है जिसके कारण उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट व्याप्त हो गया है।

माननीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रबन्धन द्वारा बार–बार आश्वासन के बाद भी 2023 की हड़ताल मे काम करने के बावजूद निकाले गये संविदा कर्मियों को अभी तक वापस नही लिया गया। लक्ष्य से अधिक काम करने वाले बिजलघरों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने के आदेश के 2 वर्ष बाद भी पूरे प्रदेश में कही भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नही किया गया है।

मांगें

1. पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा में आउटसोर्स कर्मियों के बारे में की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में संविदा कर्मियों की निम्नलिखित मांगें प्रेषित है–

(अ) श्रमिक को रू0 **22** हजार एवं लाइन मैन,एस0एस0ओ0 तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर को रूपये **25** हजार वेतन दिया जाय।

(ब) संविदा कर्मियों को विभाग द्वारा सीधे भुगतान किया जाए।

(स) संविदा कर्मचारियों की सेवा के सम्बन्ध में नियमावली बनायी जाए।

3. संविदा कर्मियों की छंटनी पर रोक लगायी जाए और निकाले गये कर्मियों को वापस लिया जाए।
4. 2023 की हड़ताल में काम करने के बावजूद निकाले गये संविदा कर्मियों को काम पर वापस रखा जाय।
5. संविदा कर्मियो की सेवानिवृत्ति आयु **55** से बढ़ाकर **60** वर्ष की जाए।
6. घायल संविदा कर्मियों के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
7. राजस्व में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले सबस्टेशनों को निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए।

(5)

GM (IR) Camp
No. 1954
Date 31-12-25

7891
No. /Dir(PM&A)/PCL/202...
R.D. 30/12/25
D.D. 31/12/25

D(P&A)
GM(IR)

(डा0 आशीष कुमार, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष
29-12-25

6412/DCM/2025
30/12/25

GM(IR)

30/12/25
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशा0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

8. आउटसोर्स कम्पनी का कार्य समाप्त होने पर ई0पी0एफ0 कार्यालय को एक्जिट डेट की सूचना दी जाए।
9. लाइनों के ब्रेकडाउन,पेट्रोलिंग तथा अन्य कार्य हेतु दूरस्थ आवागमन के लिए पेट्रोल भत्ता दिया जाए।
10. सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 20 लाख का बीमा कराया जाय।
11. फील्ड कर्मचारियों के लिए उपस्थिति हेतु फेसियल अटेन्डेन्स का आदेश वापस लिया जाय।

अतएव इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि संविदा कर्मियों की छीनी जा रही रोजी रोटी और आश्वासन के पालन न किये जाने के विरोध में ध्यानाकर्षण हेतु प्रदेश के हर जिले में 06 जनवरी 2026 दिन मगलवार को एकद्विवसीय सत्याग्रह किया जाएगा।

सादर,

भवदीय

(पुनीत राय)

प्रभारी

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय ऊर्जा मंत्री उ0प्र0 सरकार लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 14–अशोक मार्ग भाक्तिभवन लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल,मध्यांचल,पश्यिमांचल,दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं केस्को कानपुर।
4. विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उ0प्र0 के सभी घटक संगठन।

(पुनीत राय)

प्रभारी

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-I/34397/2025-IR-17- comp no. 8157 दिनांक 16-12-2025

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषयः उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम—1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

Pkumar

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक 16-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ एस०एल०डी०सी०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन।
5. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) /वित/ वितरण / वाणिज्य / कारपोरेट प्लानिंग / आई०टी०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०,शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-I/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

File No. PAUPPC-GMIRGUNION/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8157)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSI(15000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 16/12/2025 12:11 pm

15. अधिशासी अभियंता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वैबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक 16-12-2025
प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/ सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।
संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

File No. PA/UPPC-GM/RCUNION/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8157)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSI(15000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 18/12/2025 12:11 pm

270809/2025/10000282

संविद संख्या 3421/सीसीओ-17/जनवि/25
पत्रावली संख्या ______________
दिनांक ______________

24-20098/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग
I/1163472/2025

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या-3/205/24-पी-2-2025
लखनऊ:दिनांक 04.12.2025

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

राजकुमार
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.12.2025 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

SO
PO/SO 08-12-25
Smt Nansi Gupta
Put up on e-office
08/12/25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. PAUPPC-GMIR0UNON/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8157)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSI(15000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 18/12/2025 12:13 pm

270809/2025/10000282

24-20099/170/2025-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग
I/1163472/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अध्यक्ष, उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लि॰, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लि॰, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ॰प्र॰ राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि॰, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ॰प्र॰।
(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
(7) सूचना निदेशक, उ॰प्र॰ लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(8) विधायी अनुभाग-1।
(9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(10)प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(11)प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि॰, लखनऊ।
(12)प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांन्चल विद्युत वितरण निगम लि॰, वाराणसी।
(13)प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि॰, मेरठ।
(14)प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰, आगरा।
(15)गोपन अनुभाग-2 एवं उर्जा अनुभाग-1/3/उर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. PAUPPC-GM(RO)UN...4/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8137)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSK(S000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 16/12/2025 12:13 pm